इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1209

7 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क खानों को दोबारा खोला जाना

1209. डा0 प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात निर्माता कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कर्णाटक में लौह अयस्क खानों को दोबारा खोलने में सरकार का हस्तक्षेप मांगा है जो नये शुल्कों और कच्चे माल की कमी के कारण बंद हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कर्णाटक में लौह अयस्क खानें दोबारा खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) से (ग): कर्नाटक आयरन एण्ड स्टील मैन्युयफैक्चरर्स एसोसिएशन जैसी कुछ लौह अयस्क एवं इस्पात कंपनियों तथा उद्योग संगठनों ने कर्नाटक में लौह-अयस्क खानों को पुन: खोलने में हस्तक्षेप करने के लिए इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंद कर दिया गया था । इस्पात मंत्रालय ने कर्नाटक में तथा इसके इर्दगिर्द स्थित लोहा एवं इस्पात उद्योग की लौह अयस्क की आवश्यकता के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है। इस मामले को कर्नाटक सरकार के समक्ष भी उठाया गया है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में कुछ खानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

****